28/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र TI की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02/11/22 को पेश हो।

SDO

02/11/22 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 212 हेतु पेश हुई। बहस के दौरान प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया कि तकासमे का दावा है एवं 212 लगा रखी है 14 पक्षकार दावे मे है और 3 पक्षकार रामेश्वर, मनोहर, श्रीकान्त प्रा०पत्र 212 मे है। खाता संख्या 521 मे केवल मनोहर पार्टी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर
	रामेश्वर व श्रीमन्त का कोई रोल नही है। अर्थात पक्षकार नही बनाया। खाता संख्या 521 में कोई Tenancy नही है। Cotenant को पाबन्द नही करा सकता। इसके उपरान्त वादी वकील ने निवेदन किया कि भाई ने भी दावा किया है मेरा हिस्सा बीबी, बच्चो को करा दिया संयुक्त रूप से रहते थे। बेचान कर रहे है मेरा भी हिस्सा है गवाह करा सकता हूँ। Sec 53, 188 अन्तर्गत यह Mandatory नही है कि सभी को पक्षकार बनाया जावे। further sell न करे, निर्माण न करे बँटवारा होने के बाद कर लेना। एक नम्बर नाम करा लिया। मनोहर ने दावा कर दिया वो मेरे नाम है। दोनो संपत्तियो में से संपत्ति को भी 1/4 कर ले। इसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया कि इनकी खातेदारी नही है मेरी खरीदशुदा जमीन है। सैटलमेंट की गलती नही है। धारा 53 के सबक्लोज के अन्तर्गत सभी पक्षकार बनेगे। इसके प्रत्युत्तर में वादी वकील ने निवेदन किया कि सभी खातेदारो को बुला ली।	

Form No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत SDO मुकाम रैणी

ज्योति कुमार बनाम रामेश्वर वगैरा

रस्म मुकदमा नं. __________ सन् __________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या विचाराधीन प्रकरण विवादित आराजी दोनो पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। सह(खातेदारी) की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। लेकिन उच्च अदालतों द्वारा समय-समय पर अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सहखातेदार, संयुक्त खाते की आराजी में दूसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। चूंकि प्रतिवादीगण भूमि के सहखातेदार है तथा आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अपूर्णीय क्षति जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि विवादित आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो तामील
	में वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है और प्रतिवादी अर्थात सहखातेदार है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण के भी अधिकारो का हनन होगा। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन – चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा से उपरोक्त दोनो बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका जाता है तो उसके अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिससे प्रतिवादीगण को भी असुविधा कारित होने की – सम्भावनाओ से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा०पत्र 212 सी न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

SDO मुकाम रॉची

अशोक कुमार बनाम रामेश्वर वगैरह

नं. ______ सन् ______

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
फैसला कुमार होकर रामेश्वर से कम की पार्टी सोलजन मुलवाद है। SDO	